उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या- 84/2015/1794/30-3-2015-12जीई/2011
लखनऊ, दिनॉक 05 अक्टूबर, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-773/दस-62(एम)/2008, दिनॉक 05-11-2014 सपठित शासनादेश संख्या-08/2015-वे0आ0-2190/दस-62(एम)/2008 टी0सी0-1, दिनॉक 03-03-2015 के अनुसार दिनॉक 01-01-2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था के अन्तर्गत 10, 16 व 26 वर्ष की संतोषजनक सेवा पर क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ देय होगा। यह व्यवस्था दिनॉक 01-12-2008 से प्रभावी की गयी है।

2- उपरोक्त व्यवस्था एवं नियमों के अन्तर्गत परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिनॉक 29-06-2015 में की गयी संस्तुतियों के अनुसार निम्नांकित तालिका में स्तम्भ-2 में उल्लिखित संभागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित स्तम्भ-4 में उल्लिखित तिथि से प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में वेतन बैण्ड-4 रू0 37400-67000/- व ग्रेड वेतन रू0 8700/- व स्तम्भ-5 में उल्लिखित तिथि से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में वेतन बैण्ड-4 रू0 37400-67000/- व ग्रेड वेतन रू0 8700/- अनुमन्य कराये जाने की एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्रमांक	संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी का नाम	संभागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी के पद पर योगदान की तिथि	नियुक्ति की तिथि से 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर वित्त विभाग के शासनादेश दिनॉक 05-11-2014 के प्रस्तर-1(3)(क) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में वेतन बैण्ड-4 रू0 37400-67000/- में ग्रेड वेतन रू0 8700/- का लाभ दिये जाने का दिनॉक	वित्त विभाग के शासनादेश दिनॉक 03-03-2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार प्रथम नियुक्ति की तिथि से 26 वर्ष की सेवा या देयता की तिथि 01-12-2008, जो भी बाद में हो, तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य बैण्ड-4 रू0 37400-67000/- में ग्रेड वेतन रू0 8700/- का लाभ दिये जाने का दिनॉक
1	2	3	4	5
1	श्री वी0के0 सोनकिया	20-01-2003	20-01-2013	--
2	श्रीमती इन्दिरा सिंह	11-11-1987	--	11-11-2013

कुमार अरविन्द सिंह देव,
प्रमुख सचिव।

संख्या-84/2015/1794(1)/30-3-2015, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- सम्बन्धित कार्मिक (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
5- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2
6- वैभागिक आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(नर्वेद सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in